



अचल संपत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता(ओं) / बंधकर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया। और जैसाकि, कर्जदार(रों) / गारंटीदाता(ओं) / बंधकर्ता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित संपत्तियों नाम से निर्दिष्ट) का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता(ओं) / बंधकर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं) / बंधकर्ता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल संपत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 06.10.2021 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रिडगंज, फैजाबाद में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके, अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 07.10.2021 को खोली जाएगी।

बोली क्र.सं.	कर्जदार/बंधकदाता का नाम	संपत्ति का विवरण/स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि/अधिग्रहण तिथि/अधिग्रहण प्रकार	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य/ईएमडी (रु.)
--------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------	---------------------------

शाखा: शेरपुर पारा जिला-अयोध्या

फैजाबाद 1.	कर्जदार: मेसर्स रोहित टेंट हाऊस, प्रो० श्री केदार नाथ यादव, बंधककर्ता: श्री केदारनाथ पुत्र श्री बिरजू यादव एवं श्री राधेश्याम पुत्र श्री बिरजू यादव	भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं० 1 मिनजुमला, बिक्री विलेख संख्या 1448/2001 ग्राम खजुराहा, परगना- पश्चिम राट, तहसील-बीकापुर, जिला- अयोध्या (फैजाबाद) में स्थित है।, क्षेत्रफल: 900 वर्ग फीट, स्वामी: श्री केदारनाथ पुत्र श्री बिरजू यादव और श्री राधेश्याम पुत्र श्री बिरजू यादव।, चौहद्दी: पूर्व: रोड फैजाबाद से इलाहाबाद, पश्चिम: वीरेन्द्र प्रताप सिंह की बाग, उत्तर: विक्रेता का मकान, दक्षिण: परती भूमि।	31.07.2018	₹ 7,33,365/- + 30.07.2018 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 11,86,650.00
			28.11.2018 सांकेतिक कब्जा		₹ 1,18,665.00

शाखा: अमानीगंज, जिला-अयोध्या

फैजाबाद 2.	कर्जदार: मेसर्स प्रेम राइस मिल, प्रो० प्रेम कुमार बंधककर्ता: श्रीमती रामावती पत्नी श्री प्रेम कुमार।	साम्यिक बंधक, बिल्डिंग प्लॉट सं० 183 (आबादी भूमि) ग्राम बेतौली अमनवा सूफी, परगना एवं तहसील-रुदौली, जिला-फैजाबाद (अयोध्या) में स्थित, क्षेत्रफल: 900 वर्ग फीट, स्वामी: श्रीमती रामावती पत्नी श्री प्रेम कुमार, चौहद्दी: पूर्व: श्री भीम सेन सिंह का प्लॉट, पश्चिम: रोड अमानीगंज से दयार्थी, उत्तर: रामावती का प्लॉट, दक्षिण: लालती देवी का प्लॉट।	27.02.2018	₹ 6,11,664.64 + 27.02.2018 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 5,77,650.00
			08.06.2018 सांकेतिक कब्जा		₹ 57,765.00

फैजाबाद 3.	कर्जदार: श्रीमती विभा सिंह पत्नी संजय कुमार सिंह। बंधककर्ता: श्रीमती विभा सिंह पत्नी संजय कुमार सिंह।	साम्यिक बंधक, बिल्डिंग मकान सं० 51एसए बिक्री विलेख सं० 2750/12 ग्राम व पोस्ट बाकौली खण्डासा, जिला-फैजाबाद (अयोध्या) में स्थित, क्षेत्रफल: 800 वर्ग फीट, स्वामी: श्रीमती विभा सिंह पत्नी संजय कुमार सिंह, चौहद्दी: पूर्व: राकेश का मकान, पश्चिम: खडण्ण राम बहादुर, उत्तर: राम बहादुर की भूमि, दक्षिण: अमानीगंज से देवही रोड।	27.02.2018	₹ 6,99,644.90 + 27.02.2018 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 4,48,000.00
			08.06.2018 सांकेतिक कब्जा		₹ 44,800.00

शाखा: दर्शन नगर, जिला अयोध्या

फैजाबाद 4.	कर्जदार: श्री अनिल पाण्डेय पुत्र स्व. माधव प्रसाद पाण्डेय एवं श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी श्री अनिल पाण्डेय बंधककर्ता: श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० माधव प्रसाद पाण्डेय।	साम्यिक बंधक बिल्डिंग/प्लॉट सं० 645 का गांव मौजा-कुराहा केशवपुर उपहार, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर जनपद-अयोध्या में स्थित, क्षेत्रफल: 1930 वर्ग मीटर, स्वामी: श्री अनिल पाण्डेय पुत्र स्व. माधव प्रसाद पाण्डेय, चौहद्दी: पूर्व: राम करण शुक्ला का खेत, पश्चिम: 20' चौड़ा परिक्रमा मार्ग, उत्तर: चक रोड उसके बाद खेत जगदीश प्रसाद शुक्ला, दक्षिण: खेत बबन प्रसाद।	30.09.2016	₹ 8,59,228.00 + 30.09.2016 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 35,36,159.00
			07.06.2018 सांकेतिक कब्जा		₹ 3,53,615.90

शाखा: नसीरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर

फैजाबाद 5.	कर्जदार: मेसर्स पाण्डेय बिल्डिंग मैटेरियल, प्रो० सभापति पाण्डेय पुत्र राम अवध पाण्डेय। बंधककर्ता: श्री सभापति पाण्डेय पुत्र राम अवध पाण्डेय।	साम्यिक बंधक बिल्डिंग/प्लॉट सं० 973 का ग्राम समेरी अकबरपुर, तहसील-भीती जिला-अम्बेडकरनगर में स्थित, क्षेत्रफल: 1360 वर्ग फीट, स्वामी: श्री सभापति पाण्डेय पुत्र राम अवध पाण्डेय, चौहद्दी: पूर्व: सभादीन का प्लॉट, पश्चिम: महारूआ से दोस्तपुर रोड, उत्तर: विश्वनाथ एवं अन्य की नवीन परती, दक्षिण: सभादीन का प्लॉट।	02.01.2020	₹ 5,16,334.03 + 31.12.2019 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 8,15,840.00
			18.02.2021 सांकेतिक कब्जा		₹ 81,584.00

शाखा: मो० पुर हमजा, जिला-अम्बेडकर नगर

फैजाबाद 6.	कर्जदार: मेसर्स लक्ष्मी चावला उद्योग, प्रो० ठाकुरदीन मोर्या पुत्र सोभाई बंधककर्ता: ठाकुरदीन मोर्या पुत्र सोभाई	साम्यिक बंधक बिल्डिंग/प्लॉट सं० 442 एमआई, विक्रय विलेख सं० 1754/1997, ग्राम मंगुराडीला, पोस्ट- जलालपुर परगना-सुरहुरपुर, तहसील-जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर में स्थित, क्षेत्रफल: 225 वर्ग फीट, स्वामी: ठाकुरदीन मोर्या पुत्र सोभाई, चौहद्दी: पूर्व: रोड जलालपुर से बसखरी, पश्चिम: मिनमुकीर एवं अन्य की बाग, उत्तर: रामलाउत की भूमि, दक्षिण: इकबाल अहमद की दुकान।	27.11.2019	₹ 7,25,048.00 + 18.11.2019 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 15,04,800.00
			19.02.2021 सांकेतिक कब्जा		₹ 1,50,480.00
			साम्यिक बंधक बिल्डिंग/प्लॉट सं० 442 एमआई, विक्रय विलेख सं० 306/2000, ग्राम मंगुराडीला, पोस्ट- जलालपुर परगना-सुरहुरपुर, तहसील-जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर में स्थित, क्षेत्रफल: 225 वर्ग फीट, स्वामी: ठाकुरदीन मोर्या पुत्र सोभाई, चौहद्दी: पूर्व: रोड जलालपुर से बसखरी, पश्चिम: विक्रेता की भूमि, उत्तर: विक्रेता की भूमि, दक्षिण: इजहार की भूमि		कुल क्षेत्रफल: 450 वर्ग फीट

शाखा: आरबीएन गोसाईगंज, जिला-अयोध्या

फैजाबाद 7.	कर्जदार: मेसर्स गुप्ता मिनी राइस, प्रो० रेहाना पुत्र श्री छोटे लाल गुप्ता बंधककर्ता: श्रीमती रेहाना पत्नी श्री सुनिल कुमार	साम्यिक बंधक प्लॉट सं० 44एम, ग्राम मौजा-उजीपारा, पोस्ट-जैतपुर परगना-मिनझुआरा, तहसील-भीटी, जनपद-अम्बेडकरनगर में स्थित, क्षेत्रफल: 4465.40 वर्ग फीट, स्वामी: श्रीमती रेहाना पत्नी श्री सुनिल कुमार, चौहद्दी: पूर्व: विजय कुमार का खेत, पश्चिम: बच्चूलाल का खेत, उत्तर: मुस्तफा का खेत, दक्षिण: गोसाईगंज से तारुन रोड।	30.09.2016	₹ 9,41,446.00 + 30.09.2016 से चार्ज्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्च (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाए)	₹ 10,53,500.00
			08.06.2017 सांकेतिक कब्जा		₹ 1,05,350.00

सम्पर्क नं. 8874207282/8874206413

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अकबरपुर में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता को रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के पापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सबोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निर्लंबित करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बताया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली जमा है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधकर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार/गारंटीदाता/बंधकर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियमों, 2002 द्वारा के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपना 2:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधकर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जना/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagranbank.com/sarfasesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधकर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनके वसूल किया जाएगा।